

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक एफ 1(1)(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2014/ 3110-42 जयपुर, दिनांक 20.3.15

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।


विषय:—रबी फसल 2015 (सम्वत् 2071) में प्रभावित किसानों को कृषि
आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

प्रसंग:—इस विभाग के दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 1906-80 दिनांक 18.3.
2015 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि रबी फसल 2015 (सम्वत् 2071) में ओलावृष्टि से नुकसान होने पर प्रभावितों कष्टकारों को कृषि आदान सहायता वितरण करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देश को बिन्दु संख्या 9 केवल खरीफ की फसलों में ही प्रभावी है, परन्तु सहवन से ओलावृष्टि से प्रभावित कष्टकारों को कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु दिशा निर्देश में अंकित हो गया है जिसको विलोपित किया जाता है। अतः कृपया उपरोक्त आदेश के बिन्दु संख्या 9 को नहीं पढ़ा जावे।

भवदीय


संयुक्त शासन सचिव